राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–2) विभाग

कमांकः प.14(10)खान/ग्रुप–2/2020 (विशेष) जयपुर, दिनांक 18 अप्रेल, 2020

निदेशक,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
उदयपुर।

विषयः प्रधान एवं अप्रधान खनिजों (खनन पट्टें /क्वारी लाईसेंस /ईंट–भट्टे/परमिट/ एस.टी.पी.) के खनन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

संदर्भः शासन का समसंख्यक पत्र दिनांक 10.04.2020 के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत गृह मंत्रालय, भारत सरकार आदेश क्रमांक 40–3/2020– डीएम–1(ए) दिनांक 15.04.2020 तथा गृह मंत्रालय, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.33(2)गृह–9/2019 दिनांक 15.04.2020 से जारी की गई गाईडलाईन के अनुसार राजस्थान राज्य में दिनांक 20.04.2020 से दिनांक 03.05.2020 तक की अवधि में लॉकडाउन के संबंध में खनन पट्टें/क्वारी लाईसेंस/ ईंट–भट्टे/परमिट/एस.टी.पी में खनन कार्य संचालित करने के संबंध में संदर्भित पत्र से दिये गये निर्देशों को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

1. दिनांक 20.04.2020 से प्रधान एवं अप्रधान खनिज के समस्त खनिजों का खनन का भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा कार्यस्थलों पर सामाजिक दूरी के संबंध में दी गई मानक संचालन प्रक्रिया (परिशिष्ट–1) का पालन करते हुए किया जा सकेगा, इस हेतु विभागीय ऑन लाईन ई–रवन्ना/ई–टी.पी. तथा सभी एम्पेनेल्ड वे–ब्रिज को activate कर दिया जावे।
2. खनन कार्य हेतु खान धारकों/श्रमिकों के पास संबंधित अधीक्षण खनि अभियंता द्वारा जारी किया जावेगे, इस हेतु विभागीय पोर्टल पर ऑन–लाईन आवेदन पत्र प्राप्त करने तथा ऑन लाईन पास जारी करने के संबंध में समुचित प्रावधान किये जावें। जारी किये जाने वाले पास के साथ मानक संचालन प्रक्रिया की प्रति आवश्यक रूप से पालनार्थ उपलब्ध कराई जावे।
3. खनन/निर्गमन/प्रसंस्करण के दौरान मानक संचालन प्रक्रिया की पालना का उत्तरदायित्व संबंधित अनुमति धारक को होगा, फिर भी संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा समय–समय पर क्षेत्रों का निरीक्षण कर पालना सुनिश्चित की जावेगी तथा उल्लंघन पाये जाने पर खनन कार्य तत्काल बंद करवाकर इसका अनुमोदन संबंधित अधीक्षण खनि अभियता से प्राप्त किया जावेगा।
4. उपरोक्त खनन कार्य संचालन की अनुमति कोरोना हॉट–स्पॉट के रोकथाम के क्षेत्रों (Containment Zone) व क्लस्टर्स जैसेकि कर्फ्यू वाले इलाके इत्यादि में लागू नहीं होगी तथा इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा जारी किये गये आदेश/निर्देश ही प्रभावी होगें।
5. खनिजों के खनन के संबंध में खान सुरक्षा महानिदेशालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,

(कुंजी लाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट I

कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों और प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी के लिये मानक संचालन प्रक्रिया

निम्नलिखित उपायों को सभी कार्यालयों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा लागू किया जायेगा :–

1. निम्नलिखित सहित परिसर के सभी क्षेत्रों को उपयोगकर्ता के अनुकूल कीटाणुरहित माध्यमों का उपयोग करके पूरी तरह से कीटाणुरहित किया जायेगाः–

   क. भवन, कार्यालय आदि का प्रवेश द्वार आदि

   ख. कैफेटेरिया और कैंटीन

   ग. बैठक कक्ष, सम्मेलन हॉल/उपलब्ध खुले क्षेत्र/बरामदा/साईट का प्रवेश द्वार, बंकर, पोर्टा केबिन, भवन आदि

   घ. उपकरणों तथा लिफ्ट

   ड. बाथरूम, शौचालय, सिंक, पानी के स्रोत

   च. दिवारों/अन्य सभी सतहों

2. बाहर से आने वाले श्रमिकों के लिये, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर किसी भी निर्भरता के बिना, विशेष परिवहन सुविधा की व्यवस्था की जाएगी। इन वाहनों को केवल 30–40 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ परिवहन की अनुमति होगी।

3. परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों और मशीनरी को स्प्रे से अनिवार्य रूप से कीटाणुरहित किया जाना आवश्यक होगा।

4. कार्यस्थल पर प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति की अनिवार्य रूप से थर्मल स्कैनिंग करनी आवश्यक होगी।

5. श्रमिकों का चिकित्सा बीमा कराया जाना अनिवार्य होगा।

6. सभी प्रवेश और निकास स्थानों और सामान्य क्षेत्रों में हाथ धोने और सैनिटाइजर के लिये प्रावधान अधिमानतः स्पर्श मुक्त तंत्र के साथ किया जाना आवश्यक होगा।

7. कार्य स्थलों में कर्मचारियों की शिफ्ट के बदलाव के बीच एक घंटे का अंतर होगा और सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिये कर्मचारियों को दोपहर का भोजनावकाश क्रमबद्ध तरीके से दिया जायेगा।

8. 10 या अधिक लोगों की बड़ी सभाओं या बैठकों का आयोजन नहीं किया जायेगा। कार्यस्थलों, सभाओं, बैठकों और प्रशिक्षण सत्रों में श्रमिक तथा कर्मचारी एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी पर हों, सुनिश्चित किया जायेगा।

9. 2/4 से अधिक व्यक्तियों (आकार के आधार पर) को लिफ्ट या होईस्ट में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।

10. चढ़ाई के लिये सीढ़ी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा।

11. गुटखा, तम्बाकू आदि पर सख्त प्रतिबंध होगा और थूकना सख्त रूप से वर्जित होगा।

12. साईटों पर गैर–आवश्यक आगंतुकों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा।

13. आसपास के क्षेत्रों में अस्पताल/क्लीनिक, जो कोविड–19 के रोगियों के इलाज के लिये अधिकृत हैं, की पहचान की जाकर, इसकी सूची हर समय कार्य स्थल पर उपलब्ध होना सुनिश्चित किया जायेगा।

Scanned by CamScanner